संख्या-430/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

**एल0एम0 पन्त,**
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**मुख्य नगर अधिकारी,**
नगर निगम, देहरादून।

**वित्त अनुभाग-1** **देहरादून::दिनांकः 23 :जून,2009**

**विषयः-द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु नगर निगम, देहरादून को धनराशि का संक्रमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम देहरादून को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु **रू0 107316000.00 (रू0 दस करोड तिहत्तर लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1874/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नही होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि के वाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायो को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो

वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 के लेखानुदान की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—191—नगर निगम—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

22/6/2009

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

संख्या—430(1)/XXVII(1)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3— सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4— जिलाधिकारी, देहरादून।
5— निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, देहरादून।
6— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9— एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

गा०फा०

आज्ञा से,

22/6/2009

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।